न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारी:– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

(५)

प्रकरण सं0 01/2024 दायर दिनांक: 26.06.2024

उनवान

1. दुर्गासिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपुत निवासी सोयला, रायपुर।
2. रूपसिंह पिता बाल सिंह जाति राजपुत निवासी सोयला, रायपुर।
3. बजरंगसिंह पिता कल्याणसिंह जाति राजपुत नि. सोयला, रायपुर।
4. भारतसिंह पिता प्रहलादसिंह जाति राजपुत निवासी सोयला, रायपुर।
5. नारायणसिंह पिता मोतीसिंह जाति राजपुत निवासी सोयला, रायपुर।
6. भेरूसिंह पिता भगवानसिंह जाति राजपुत निवासी सोयला, रायपुर।
7. राजेन्द्रसिंह पिता गजराजसिंह जाति राजपुत नि. सोयला, रायपुर।
8. गजराजसिंह पिता शिवराजसिंह जाति राजपुत नि. सोयला, रायपुर।
9. दीपसिंह पिता जोधसिंह जाति राजपुत निवासी सोयला, रायपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भवंरसिंह पिता हनुमतसिंह जाति राजपुत निवासी सोयला, रायपुर।
2. मानसिंह पिता हनुमतसिंह जाति राजपुत निवासी सोयला, रायपुर।
3. रघुवीरसिंह पिता हनुमतसिंह जाति राजपुत निवासी सोयला, रायपुर।
4. विक्रमसिंह पिता हनुमतसिंह जाति राजपुत निवासी सोयला, रायपुर।
5. रेशमकुवंर पत्नि नुमतसिंह जाति राजपुत निवासी सोयला, रायपुर।
6. अनोखबाई पत्नि मनोहरसिंह जाति राजपुत निवासी सोयला, रायपुर।
7. गोपालसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपुत नि. सोयला, रायपुर।
8. बजरंगसिंह पिता मनोहरसिंह जाति राजपुत नि. सोयला, रायपुर।
9. सज्जनसिंह पिता रणजितसिंह जाति राजपुत नि.सोयला तह. रायपुर
10. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति विद्वान अभिभाषकगण

प्रार्थीगण:– श्री नीलकमल त्रिवेदी

अप्रार्थीगण :– श्री ईश्वर सिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज•)

Scanned with OKEN Scanner

(5)

निर्णय दिनांक 07.07.2025

प्रार्थीगण की ओर से उपरोक्त उनवान का वाद विधिवत रूप से माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है जिसमें सफलता की पूर्ण उम्मीद है। संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम सोयला पटवार हल्का सोयला तह0 रायपुर में वर्तमान खाता संख्या 196 का खसरा नं. 344 रकबा 0.2276 है, खाता संख्या 63 खसरा नं. 1045/344 रकबा 0.1012 है0, खसरा नं. 1033/344 रकबा 0.1644 है0, आराजी है। जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम खाते में दर्ज है यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 2 में वर्णित आराजी का मूल खसरा नं. 344 जिसका रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा अर्थात 0.4932 है० आराजी था जिसका अप्रार्थीगण ने आपस में बंटवारा करवा लिया है और प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित खसरा नम्बरान के अनुसार खातें में दर्ज था। खसरा नं. 344 का पुराना खसरा नं. 352 मीन नम्बर था। यह आराजी राजपूत समाज के शमशान के लिए थी लेकिन इस आराजी को केसरसिंह पिता विभनसिंह ने सेटेलमेन्ट में अपने नाम दर्ज करवा लिया है। जबकि खसरा नं. 352 मीन नम्बर से सेटलमेंट के बाद नया नम्बर 344 बना तो उस नम्बर पर केसरसिंह पिता विमनसिंह के खातेदारी में दर्ज हो गया लेकिन खसरा नं. 344 की आराजी में ग्राम सोयला के राजपूत समाज हमेशा से अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने पर मुर्दो को जलाते आ रहे है और वर्तमान में भी यह भूमि शमशान के ही काम आ रही है। इस भूमि पर राजपूत समाज के पूर्वजों की छतरियां भी मौके पर बनी हुई है जो इस बात का सबूत है कि खसरा नं. 344 की भूमि राजपूत समाज के ही शमशान के रुप में काम में आ रही है यह कि अप्रार्थीगण के द्वारा राजपूत समाज जो कि प्रार्थीगण के परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर खसरा नं. 344 की भूमि पर मुर्दा जलाने से रोकते है और शमशान की भूमि पर आस-पास जाली बना कर उसे बंद करने की कोशिश कर रहे है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक हो गया हैं कि वह प्रार्थीगण को मुर्दा जलाने से नहीं रोके एवं जाली से शमशान को बंद किया जा... यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 2 में वर्णित आराजी ... कर अपने हिस्से में कर ली है। जबकि ... प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(6)

परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर शमशान के लिए निरन्तर काम आ रही है। इसलिए प्रार्थीगण इस खसरा नं. 344 की आराजी को शमशान दर्ज करवाने के अधिकारी है क्योंकि यह भूमि सदियों से शमशान के लिए ही उपयोग उपयोग में आ रही है और वर्तमान में भी इस आराजी का उपयोग शमशान के लिए ही हो रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 2 में वर्णित आराजी का सदियों से शमशान के रूप में हो रहा है लेकिन अप्रार्थीगण इस शमशान की भूमि को हाक कर शमशान का स्वरुप बदलने की कोशिश कर रहे है मना करने पर लड़ाई–झगड़ा करने पर आमादा हो रहे है। इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना पड़ रहा है। यह कि अप्रार्थीगण को कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह प्रार्थीगण को सदियों से चले आ रहे शमशान पर मुर्दो को जलाने से मना करे लेकिन अप्रार्थीगण अपने हिन्दू धर्म को भूल कर खसरा नं. 344 पर मौजूद शमशान को बंद करने की कोशिश में है। जिसका उन्हें कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। यह कि प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टिया केस है क्योंकि प्रार्थीगण उक्त आराजी को सदियों से शमशान के लिए उपयोग में ले रहे है तथा राजपूत समाज के मुर्दे इसी भूमि में जलते आ रहे है और पूर्वजो की छत्रियां भी इसी भूमि में बनी हुई है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि वर्तमान में भी प्रार्थीगण के परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु होने पर इसी आराजी में अन्तिम संसकार किया जा रहा है। अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही होनी है क्योंकि दौराने वाद अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि पर जबरन कब्जा कर लेते है और प्रार्थीगण को मृतक व्यक्ति का अन्तिम संसकार नहीं करने देते है तो प्रार्थीगण को ऐसी क्षति होगी जिसका मुल्यांकन द्रव्य में नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश से पाबंद किया जावे कि वे दौराने वाद ग्राम सोयला पटवार हल्का सोयला तह0 रायपुर की आराजियात खाता संख्या 196 का खसरा नं. 344 रकबा 0.2276 है0, खाता संख्या 63 खसरा नं. 1045/344 रकबा 0.1012 है0, खसरा नं. 1033/[illegible] 0.1844 है0 आराजी में प्रार्थीगण को शमशान में [illegible] भूमि पर अतिक्रमण नहीं करे तार बाउंड्री [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं 10 द्वारा जवाब पेश नही किये जाने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 से 9 की ओर जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वाद पेश करना स्वीकार है लेकिन शेष कथन गलत है तथा अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 2 रेकार्डेड है तथा स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 3 में यह सही एवं स्वीकार है कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 2 में वर्णित आराजी का मूल खसरा नं. 344 है जिसका रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा अर्थात 0.4932 है० है जिसका अप्रार्थीगण ने आपस में बंटवारा करवा लिया है और प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 2 में वर्णित आराजी का खसरा नम्बरान के अनुसार खाते में दर्ज है। यह भी सही है खसरा नं. 344 का पुराना खसरा नं. 352 मिन नम्बर था। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। खसरा नं. 344 की भूमि पर जो छत्रियां मौके पर बनी हुई है वे अप्रार्थीगण नं. 1 लगायत 9 के पूर्वजो की छत्रियां है। प्रार्थीगण के पूर्वजो की छत्रियां उनके खेत कुओ पर बनी हुई है। प्रार्थी नं. 1 दुर्गासिंह के माता–पिता व चौनसिंह जी के बड़े भाई नरभयसिंह जी व उनकी पत्नी का चबुतरा व छत्रियां उनकी स्वयं की भूमि में बनी हुई है आज भी यदि उनके परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो अन्तिम संस्कार उनके नाम दर्ज भूमि में उनके कुए पर ही किया जाता है। अप्रार्थी नं. 2 व 3 के कुए पर भी चबुतरा बना हुआ है जहां उनकी दादी का अंतिम संस्कार किया गया था। अप्रार्थीगण नं. 4 लगायत 6 के कुए के पास भी छतरी व चबुतरा बना हुआ है। जहां उनके पूर्वज मोतीसिंह जी की माता जी, मोतीसिंह जी और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया गया था इस प्रकार राजपूत समाज के सभी परिवारों में अपने कुए पर अंतिम संस्कार कर छतरी व चबुतरा बनाने का रिवाज रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 4 गलत है तथा अस्वीकार है। पैरा नं. 2 में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण का कोई हक व अधिकार नहीं है और ना ही वह भूमि सार्वजनिक शमशान है। खसरा नं. 344, 1045/344, 1033/344 की आराजी सनातन से अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम खाते दर्ज होकर [illegible] रही है जिस पर अप्रार्थीगण ने फार्म हाउस बना रखे है। [illegible] के समय अप्रार्थीगण के परिवार के सदस्य रहते है। [illegible] किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

है तथा पशुओं को बांधा जाता है और अप्रार्थीगण और उनका परिवार दिन भर वही रहता है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के मकानों के सामने शमशान बनाना चाहते है। जबरन मकान के सामने मुर्दा जलाने पर आमादा है जिससे न्युसेंस पैदा होगा अप्रार्थीगण का वहां दिन भर रहना मुश्किल हो जावेगा और परिवार के छोटे बच्चों में राज्यात 598 खला 0.550वप भव व्याप्त होगा। गांव सोयला में आराजी खसरा नं. 357 रकबा 0.7967 हैo एवं 598 रकबा 0. 0506 हैo किस्म शमशान आराजी में शमशान बना हुआ है जिसमें समस्त ग्राम वासी एवं राजपूत समाज सहित प्रार्थी अप्रार्थीगण के परिवारों में किसी की भी मृत्यु होती है तो अंतिम संस्कार वहीं किया जाता है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 5 गलत है तथा अस्वीकार है। गलत है कि आराजी का बंटवारा गलत तरीके से करवाकर आराजी अपने हिस्से में दर्ज करवा ली हो क्योंकि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण का कभी-भी कोई हक नहीं रहा है। यह भी गलत है कि यह भूमि सदियों से शमशान के उपयोग-उपभोग में आ रही हो और वर्तमान में इस आराजी का उपयोग-उपभोग शमशान के लिए हो रहा हो। अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की गरज से प्रार्थीगण वहां जबरन ताकत के बल पर मुर्दा जलाना चाहते है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 6 गलत है तथा अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी पर कभी शमशान नहीं रहा है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 7 गलत है तथा अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 8 गलत है तथा अस्वीकार है। प्रार्थीगण की विवादग्रस्त आराजी में शमशान नहीं है। आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी नहीं है। जो छतरियां बनी हुई है वो अप्रार्थीगण के पूर्वजों की छतरियां है। प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केस नहीं है। सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि विवादग्रस्त स्थान पर अप्रार्थीगण के मकान बने हुए है उनके परिवार मकानों में निवास करते है। यदि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो उन्हें भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी भी द्रव्य में नहीं की जा सकेगी। जबकि प्रार्थीगण को किसी प्रकार क्षति या असुविधा होने की संभावना नहीं है क्योंकि खसरा नं. 357 पर सार्वजनिक शमशान बना हुआ है [illegible] समाज के सभी लोगो के कुए पर भी अंतिम [illegible] रहा है। प्रार्थना अस्वीकार है। विशेष [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

विशेष आपत्ति

यह कि ग्राम सोयला पटवार हल्का सोयला तह० रायपुर की आराजी खसरा नं. 344 खसरा नं. 1045/344, खसरा नं. 1033/344 अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिसमें प्रार्थीगण का कोई हक निहित नहीं है। कानूनन खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। यह कि ग्राम सोयला पटवार हल्का सोयला तह० रायपुर में खसरा नं. 357 रकबा 0.7967 है० व खसरा नं0 598 रकबा 0.0506 है० आराजी शमशान के नाम दर्ज है तथा इस आराजी में शमशान बना हुआ है जहां पर ग्राम सोयला के सभी लोग अपने परिवारों में मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार करते है। यह कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के परिवारों में पिढियों से विवाद चले आ रहे है। प्रार्थीगण के पूर्वज मोती सिंह पूर्व में सरपंच रहे है उन्होंने भी खसरा नं. 344 की आराजी को अप्रार्थीगण से छीनकर स्कूल के नाम दर्ज करवाने का प्रयास किया था। जिसका अप्रार्थीगण के पूर्वजो ने विरोध किया था। दोनो परिवारों के बीच फौजदारी कार्यवाहीयां भी हुई थी। यह कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को महज तंग व परेशान करने की गरज से झूठा व मनघड़ंत तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कतई खारीज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा की जाये।

3. प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम सोयला के खाता सं. 196, 433, 63 की जमाबंदी सं. 2072–75 की नकल, वादग्रस्त आराजी की भूप्रबंध विभाग कि जमाबंदी सं. 2017–18 की नकल, ग्राम सोयला की केसरसिंह पिता चमन की आराजी जमाबंदी सं0 2010 की नकल, केसरसिंह पिता चमन की आराजी जमाबंदी सं0 2013–16 की नकल, केसरसिंह पिता चमन की आराजी जमाबंदी सं0 2027–30 की नकल, वादग्रस्त आराजी के खसरा पांच साला की जमाबंदी सं0 2010–14 की नकल, पुलिस थाना रायपुर के रोजनामचा विवरण दिनांक 08.01.2024 की छायाप्रतियां पेश की एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र भारतसिंह AW1, बजरंगसिंह AW2, नारायणसिंह AW3, [illegible]सिंह AW4, रघुराजसिंह AW5, भेरूसिंह AW6, [illegible]सिंह AW7, [illegible]सिंह AW8, हेमसिंह AW9, रईसिंह AW10, [illegible] AW11, [illegible]सिंह AW12,

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

राजेन्द्रसिंह AW13, अनोपसिंह AW14, गेहरवालसिंह AW15, किशोर सिंह AW16, घीसूसिंह AW17, तंवरसिंह AW18, तंवरसिंह AW19, रामनाथसिंह AW20, रूपेन्द्रसिंह AW21, राजेन्द्रसिंह AW22, प्रेमसिंह AW23, भगोपसिंह AW24, बनेसिंह AW25 पेश किये ।

4. अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम सोयला की केसरसिंह पिता चमन की आराजी की जमाबंदी सं0 2013–16 की नकल, केसरसिंह पिता चमन की आराजी की जमाबंदी सं0 2017–20 की नकल, ग्राम सोयला के खसरा नं0 357 का खसरा नक्श दिनांक 09.06.2025 शमशान भूमि खसरा नं 357 व 598 की जमाबंदी सं0 2072–75 की नकल, सरपंच ग्रामपंचायत सोयला के सरपंच श्री मोतीसिंह द्वारा नाजायज परेशान करने के संबंध में प्रार्थी हनुमंतसिंह द्वारा तहसीदार पिड़ावा को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.1971, ग्राम पंचायत सोयला द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में की गई जांच की आदेशिका दिनांक 25.06.1980 से 22.06.1981 की प्रतिलिपि, सरपंच ग्रामपंचायत सोयला के सरपंच श्री मोतीसिंह द्वारा नाजायज परेशान करने के संबंध में प्रार्थी हनुमंतसिंह द्वारा जिला कलक्टर झालावाड़ को दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.1978 की प्रतिलिपि, पुलिस अधिकारी महोदय डीआईजी कोटा केम्प रायपुर को सरपंच मोतीसिंह द्वारा नाजायज परेशान करने पर दी गई प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.1977 की प्रतिलिपि, प्रकरण सं0 37/36/1 ग्राम पंचायत सोयला बनाम हनुमंत सिंह पुत्र केसर सिंह प्रकरण में ग्राम पंचायत दुबलियां पंचायत समिति पिड़ावा द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 01.07.1981 की प्रतिलिपि, सहायक जिला कलक्टर झालावाड़ के समक्ष सरपंच मोतीसिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 110 सीआरपीसी में पेश चालान दिनांक 03.06.1977 की प्रतिलिपि, माननीय न्यायालय कार्यपालक दण्डनायक झालावाड़ द्वारा प्रकरण सं0 181/1977 सरकार जरिये थाना रायपुर बनाम मोतीसिंह पुत्र गेंदु सिंह अन्तर्गत धारा 110 सीआरपीसी में जारी निर्णय दिनांक 23.06.1977 की प्रतिलिपि, वादग्रस्त आराजी हाल [illegible] यां व मकान की गुगल मेंप से ली गई फोटोग्राफ्स दिनांक [illegible] सिंह के खेत पर बने छतरी, चबुतरा गुगल [illegible] दिनांक 21.05.2025, मोती सिंह के परिवार [illegible] छतरी चबुतरे के [illegible] ल मेंप से ली

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

11

गई फोटोग्राफ्स दिनांक 23.05.2025, ग्राम सोयला के सार्वजनिक श्मशान खसरा नं 357 की गूगल मेप से ली गई फोटोग्राफ्स दिनांक 23.05.2025, पेश की एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र सज्जनसिंह NAW1, रघुवीरसिंह NAW2, गजराजसिंह NAW3, गोविन्दसिंह NAW4, पेश किये

5. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सोयला का हाल मूल खसरा नं0 344 रकबा 1–19 बीघा (344, 1045/344 व 1033/344 किता 3 कुल रकबा 0.4932 है0) सेटलमेन्ट के दौरान साबिक खसरा नं0 352 रकबा 1–19 बीघा से बनाया गया है। साबिक खसरा नं0 352 जिसकी किस्म शमशान है सैकड़ों वर्षों से राजपूत समाज के शमशान के रूप में निरन्तर उपयोग में लिया जा रहा है। उक्त स्थान पर राजपूत समाज के कई पूर्वजों के छतरीयां व चबुतरें बने हुए है जिसका उल्लेख सवत 2014–16 एवं 2017–18 की खसरा गिरदावरी में किया है। तात्कालीन खसरा गिरदावरी में उक्त भूमि को हनुमानजी मंदिर खेड़ा व राजपूत समाज शमशान अंकित किया गया है। सेलमेन्ट से पूर्व की सभी खसरा गिरदावरी में शमशान भूमि के रूप में दर्ज चली आ रही थी लेकिन अप्रार्थीगण ने सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट विभाग के कार्मिकों से साठगाठ कर गलत तरिके से भूमि को हनुमंत सिह की खातेदारी मे दर्ज करा लिया गया था। संवत 2011 से लेकर 2081 तक राजपूत समाज के मृतका का यही दह संस्कार करते आये है लेकिन अप्रार्थीगण द्वारा कभी भी किसी को रोका नहीं गया। वर्ष 2024 में जब प्रार्थीगण के एक पूर्वज का दाह संस्कार करने से रोका तो प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुलिस थाना रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई तो पुलिस की समझाईश से दाह संस्कार हुआ।

अतः साबित है कि वादग्रस्त आराजी वर्षो से राजपूत समाज के शमशान के रूप में और हनुमान मंदिर के रूप में उपयोग ली जाती रही है वादग्रस्त भूमि पर कभी भी किसी ने फसल काश्त नही की है। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि यह बात सही [illegible] ग्राम सोयला में खसरा नं0 357 व 598 पर ग्राम पंचायत द्वारा शमशान [illegible] है लेकिन इस सरकारी शमशान अन्य समाज [illegible] दाह संस्कार करते है जो कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

12

राजपूत समाज के लोग मूल खसरा नं 344 पर ही दाह संस्कार करते है। अप्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दर्ज होने मात्र का अनुचित फायदा उठाकर राजपूत शमशान की उक्त भूमि पर अवैध निर्माण का कब्जा करना चाहते है जिससे पुरे राजपूत समाज को अपूर्णिय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकार अप्रार्थीगण को अस्थयी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

6. अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 से 9 द्वारा प्रार्थीगण की बहस का पूरजोर विरोध कर अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि मूल खसरा नं0 344 रकबा 1–19 बीघा अप्रार्थीगण की खाते व कब्जे की आराजी है जो उन्हे विरासत में अपने पिता हनुमत सिंह से प्राप्त हुई थी जिस पर प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नही है जिसके पास में अप्रार्थीगण के घर बने हुए है। प्रार्थीगण केवल अप्रार्थीगण को नाजायज परेशान करने एवं अप्रार्थीगण के उपर अपना प्रभुत्व कायम करने के उद्देश्य से यह दावा पेश किया है। यह सही है कि वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नं0 344 सेटलमेन्ट के दौरान साबिक खसरा नं0 352 रकबा 1–19 बीघा से बनाया है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि वादग्रस्त आराजी स0 2013–16 में अप्रार्थीगण के पूर्वज केसर सिंह पिता चमनसिंह के खाते दर्ज थी जो विरासत से हनुमत सिंह के खाते और फिर अप्रार्थीगण के खाते दर्ज हुई है। अतः साबित है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार कृषक है। वादग्रस्त आराजी की किस्म कभी भी शमशान नहीं रही है। वर्षो पूर्व अप्रार्थीगण के पूर्वजों का दाह संस्कार वादग्रस्त आराजी पर किया है और उन्ही की स्मृति में 60–70 वर्षो पूर्व ये छतरीयां बनायी गयी थी। अप्रार्थीगण भी राजपूत समाज के व्यक्ति है और इसी लिय संभवत सेटलमेन्ट से पूर्व की खसरा गिरदावरीयों में तत्कालीन राजस्व कार्मिकों के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर राजपूत शमशान दर्ज किया गया होगा। किसी खातेदार की भूमि खसरा गिरदावरी में राजस्व कार्मिकों द्वारा बिना किसी आदेश के कुछ भी अंकित करने से उस खातेदार की भूमि की किस्म व खातेदारी को बदला नही जा सकता है। ग्राम सो[illegible] खसरा नं0 357 रकबा 0.7967 है0 किस्म गैरमुनकिन [illegible] पर ग्राम [illegible] द्वारा लाखों रूपये खर्च करके वर्षो से शमशान [illegible] की टीनशेड हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(13)

रखी है व पहुंच हेतु पक्का रास्ता बना रखा है। ग्राम सोयला के सभी समाज के लोग इसी सरकारी शमशान पर दाह संस्कार करते आ रहे है। इसी प्रकार ग्राम मे एक अन्य शमशान भूमि खसरा नं0 598 रकबा 0.0506 है0 किस्म गैर मुमकिन शमशान भी है। अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रार्थीगण बलशाली व धनशाली व्यक्ति है और अपने पूर्वजों का दाह संस्कार अपने खेतो पर करते आये है और उनकी छतरीयां भी वहीं बना रखी है। दुर्गासिंह के माता–पिता को उनके खेत में ही जलाया गया था, नारायणसिंह, भारतसिंह, प्रहलादसिंह व भंवरसिंह के माता–पिता को भी उनकी भूमि राठौड़ा कुआ पर जलाया गया था। जिसके फोटोग्राफ पत्रावली मे पेश है प्रार्थीगण ने 2024 मे पुलिस थाना रायपुर को पैसे देकर अप्रार्थीगण पर दबाव बनाकर जबरन प्रार्थी सं0 3 के पिता कल्याणसिंह का दाह संस्कार किया था। प्रार्थीगण की अप्रार्थीगण के साथ पूर्वजों के समय से दुश्मनी चली आ रही है और तभी से अप्रार्थीगण व हमारे पूर्वजों को बिना कारण परेशान करते आये है। प्रार्थीगण के परिवार के सदस्य 40–50 वर्षो से राजनिती में होने से गांव में और तहसील में राजनितीक दबाव बनाकर आप्रार्थीगण को परेशान करते आ रहे है। प्राथीगण के पूर्वज मोती सिंह जो कि सरपंच था ने भी प्रार्थीण के पिता हनुमत सिंह को भी खुब परेशान किया था जिसकी प्रार्थीगण के पिता हनुमत सिंह द्वारा तहसीलदार पिड़ावा को शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.1971, एवं जिला कलक्टर झालावाड़ को प्रार्थना पत्र दिनांक 27.12.1978 दी गई थी जिसमें तत्कालीन सोयला सरपंच मोती सिंह को हनुमतसिंह की भूमि खसरा नं 344 पर जबरन निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद किया गया था। इसी प्रकार हनुमतसिंह द्वारा पुलिस अधिकारी महोदय डीआईजी कोटा केम्प रायपुर को सरपंच मोतीसिंह द्वारा नाजायज परेशान करने पर प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.1977 दिया था और पुलिस ने कार्यवाही भी की थी। इन सब के बावजुद भी मोतीसिंह व प्रार्थीगण हमे परेशान करते आ रहे है। मोतीसिंह के विरूद्ध ग्राम पंचायत सोयला द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में की गई जांच की गई थी जिसकी आदेशिका दिनांक 25.06.1980 से 22.06.1981 की प्रतिलिपि पत्रावली में [illegible] मोतीसिंह द्वारा जब जांच को प्रभावित किया गया तो पंचायत समिति पिड़ावा द्वारा प्रकरण को ग्राम पंचायत दुबलिया को हस्तांतरित कर दिया [illegible] प्रकरण सं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

37/36/1 ग्राम पंचायत सोयला बनाम हनुमंत सिंह पुत्र केसर सिंह में ग्राम पंचायत दुबलिया पंचायत समिति पिड़ावा द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 01.07.1991 की प्रतिलिपि भी संलग्न है जिसमें बादग्रस्त भूमि को लेकर अप्रार्थीगण को परेशान नहीं करने एवं अतिक्रमण नहीं करने हेतु मोतीसिंह को पाबंद किया था। लेकिन मोतीसिंह अपनी दादागीरी के बल पर सभी आदेशों का उल्लघन करते हुए जबरन निर्माण करना रखा तो अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा थाना रायपुर में परिवाद दिया जिस पर सहायक जिला कलक्टर झालावाड़ के समक्ष सरपंच मोतीसिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 110 सीआरपीसी में पेश चालान दिनांक 03.06.1977 पेश किया गया था। माननीय न्यायालय कार्यपालक दण्डनायक झालावाड़ द्वारा प्रकरण सं0 181/1977 सरकार जरिये थाना रायपुर बनाम मोतीसिंह पुत्र गेंदु सिंह अन्तर्गत धारा 110 सीआरपीसी में जारी निर्णय दिनांक 23.06.1977 से सरंपच होने एवं जनप्रतिनिधी होने से पाबंद कर कार्यवाही ड्रोप कर दी गई।

7. अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा आगे तर्क किया गया कि प्रार्थीगण की अप्रार्थीगण से वर्षों से दुश्मनी है। प्रार्थीगण ने 2–3 राजपूत परिवार की और से यह दावा पेश किया है जबकी सोयला में राजपूत समाज के 500 से अधिक परिवार है। 500 परिवारों के स्थान पर केवल प्रार्थीगण ही सम्पूर्ण राजपूत समाज की और से यह दावा लेकर आये है जिसका प्रार्थीगण को हक व अधिकार नहीं है। 500 परिवारों में से किवल प्रार्थीगण के परिवार को छोड़कर अन्य अधिकतर राजपूत परिवारों को बादग्रस्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है। यदि प्रार्थीगण सम्पूर्ण राजपूत समाज की और से दावा पेश किया है तो अन्तर्गत आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के अधिन राजपूत समाज जन सामान्य सोयला को पक्षकार बनाना चाहिए। प्रार्थीगण ने अपने समर्थन में जिन 25 लोगो के शपथ पत्र पेश किये है उनमें से प्रार्थीगण के 9 शपथत्रों के अलावा अन्य किसी गवाह के बयानों में कहीं भी यह अंकित नही है कि वो सोयला के निवासी या प्रार्थीगण के रिश्तेदार है। 25 में से 16 गवाह ने बादग्रस्त भूमि को कभी जाकर भी नहीं देखा है। केवल अप्रार्थीगण के निर्माण कार्य को रोकने और नाजायज रूप परेशान करने के [illegible] सब कर रहे है। अतः खातेदार व कब्जेदार अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश [illegible] विरूद्ध प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

8. अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा पुनः तर्क किया कि ग्राम सोयला मे जो पैसे वाले लोग है केवल उन्ही ने अपने पूर्वजों को अपने खेतों पर दाह संस्कार कर छतरीयां बनायी है। शेष राजपूत समाज खसरा नं 344 पर ही दाह संस्कार करता आया है। सरकारी शमशान पर राजपूत समाज का कोई भी व्यक्ति दाह संस्कार नही करता है। प्रार्थीगण द्वारा पेश 25 गवाहों ने अपने शपथ पत्रों मे यही स्वीकार किया है। अप्रार्थीगण केवल प्रार्थीगण को ही दाह संस्कार करने से रोक रहे है। समाज अन्य परिवारों का दाह संस्कार करने देते है। अतः जाहीर है कि परेशानी केवल प्रार्थीगण को उत्पन्न हुई है तो वाद भी प्रार्थीगण करेंगे और इसलिए आदेश 1 नियम 8 सीपीसी के अधिन पुरे राजपूत समाज को पक्षकार बनाना आवश्यक नहीं है।

9. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के प्रावधान का प्रकरण में अवलोकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के प्रावधान का उद्धरण इस प्रकार है–

> ***212. Provision for injunction and appointment of a receiver—***
> *(1) If in the course of any suit or proceeding under this Act, it is proved by affidavit or otherwise —*
> *(a) that any property to which such suit or proceeding relates is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party thereto, or*
> *(b) that any party to such suit or proceeding threatens or intends to remove or dispose of the said property in order to defeat the ends of Justice, the court may grant a temporary injunction and, if necessary, appoint a receiver. (2) Any person against whom an injunction has been granted or in respect of whose property a receiver has been appointed under subsection (1) may offer cash security in such amount as the court may determine to compensate the opposite party in case the suit or proceedings is decided against such persons, and on depositing the amount of such security, the court may withdraw the injunction or the order appointing a receiver, as the case may be.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़, (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

10. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के साथ साथ सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व 02 में अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रावधान बनाये गये है। जिनका उद्धरण इस प्रकार है:–

ORDER XXXIX
TEMPORARY INJUNCTIONS AND INTERLOCUTORY ORDERS
Temporary injunctions

1. Cases in which temporary injunction may be granted.—*Where in any suit it is proved by affidavit or otherwise—*
(a) that any property in dispute in a suit is in danger of being wasted, damaged or alienated by any party to the suit, or wrongfully sold in execution of a decree, or
(b) that the defendant threatens, or intends, to remove or dispose of his property with a view to [defrauding] his creditors,
(c) that the defendant threatens to dispossess, the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit, the Court may by order grant a temporary injunction to restrain such act, or make such other order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation, sale, removal or disposition of the property or dispossession of the plaintiff, or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit] as the Court thinks fit, until the disposal of the suit or until further orders.

2. Injunction to restrain repetition or continuance of breach.—*(1) In any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not, the plaintiff may, at any time after the commencement of the suit, and either before or after judgment, apply to the Court for a temporary injunction to restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained, of, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

17

(2) The Court may by order grant such injunction, on such terms as to the duration of the injunction, keeping an account, giving security, or otherwise, as the Court thinks fit.

11. साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 के साथ साथ सिविल प्रकिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–04 में अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रावधान बनाये गये है। जिनका उद्धरण इस प्रकार है:–

> ***4. Order for injunction may be discharged, varied or set aside.***—*Any order for an injunction may be discharged, or varied, or set aside by the Court, on application made thereto by any party dissatisfied with such order:*
>
> *Provided that if in an application for temporary injunction or in any affidavit supporting such application, a party has knowingly made a false or misleading statement in relation to a material particular and the injunction was granted without giving notice to the opposite party, the Court shall vacate the injunction unless, for reasons to be recorded, it considers that it is not necessary so to do in the interests of justice:*
>
> *Provided further that where an order for injunction has been passed after giving to a party an opportunity of being heard, the order shall not be discharged, varied or set aside on the application of that party except where such discharge, variation or setting aside has been necessitated by a change in the circumstances, or unless the Court is satisfied that the order has caused undue hardship to that party.*

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ***Dalpat Kumar vs Prahlad Singh*** 1992 AIR SCW 3128 एवं ***Colgate Palmolive (India) Ltd vs Hindustan Lever Ltd*** 1999 AIR SCW 3050 मामलों में अभिनिर्धारित किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए इन्हे तीन बिन्दुओं– प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति– को जांचना आवश्यक है हस्तगत प्रकरण में विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम [illegible] काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 एवं आदेश 39 नियम 1 [illegible] सीपीसी के प्रावधान की माननीय न्यायालयों द्वारा की गई व्याख्या का अवलोकन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

(18)

जाना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***Dalpat Kumar vs Prahlad Singh 1992*** में दिनांक 16.12.1991 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान की विस्तृत व्याख्या (Interpretation) की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> *4. Order 39, Rule 1(c) provides that temporary injunction may be granted where, in any suit, it is proved by the affidavit or otherwise, that the defendant threatens to dispossess the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit, the court may by order grant a temporary injunction to restrain such act or make such other order for the purpose of staying and preventing... or dispossession of the plaintiff or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit as the court thinks fit until the disposal of the suit or until further orders. Pursuant to the recommendation of the Law Commission clause(c) was brought on statute by Section 88(i)(c) of the Amending Act 104 of 1966 with effect from February 1, 1977. Earlier thereto there was no express power except the inherent power under Section 151, C.P.C. to grant ad interim injunction against dispossession. Rule 1 primarily concerns with the preservation of the property in dispute till legal rights are adjudicated. Injunction is a judicial process by which a party is required to do or to refrain from doing any particular act. It is in the nature of preventive relief to a litigant to prevent future possible injury. In other words, the court in exercise of the power of granting ad interim injunction is to preserve the subject matter of the suit in the status quo for the time being. It is settled law that the grant of injunction is a discretionary relief. The exercise thereof is subject to the court satisfying that (1) there is a serious disputed question to be tried in the suit and that an act, on the facts before the court, there is probability of his being entitled to the relief asked for by the plaintiff/defendant; (2) the court's interference is necessary to protect the party from the species of injury. In other words, irreparable injury or damage would ensue before the legal right would be established at trial; and (3) that the comparative*

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(19)

hardship or mischief or inconvenience which is likely to occur from withholding the injunction will be greater than that would be likely to arise from granting it.

13. इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उनवान ***Colgate Palmolive (India) Ltd vs Hindustan Lever Ltd 1999*** में दिनांक 18.08.1999 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान की विस्तृत व्याख्या (Interpretation) की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> *Incidentally, the House of Lords prior to the decision in American Cyanamid Co. vs. Ethican Ltd. [1975 (1) All ER 504] in J.T. Stratford & Sons Ltd. Vs. Lindley (1965 AC 269) in no uncertain terms laid down that the plaintiff had to show a strong prima facie case that his rights has been infringed and thereafter the plaintiff was required to show that the damages would not be an adequate remedy in the event of there being a success of the plaintiff at the trial and that the balance of convenience favoured the grant. This requirement, however, in the matter of grant of an injunction so for as the English Courts are concerned, stands slightly diluted by reason of the decision in American Cyanamid's case (supra) which records that in the event of there being a serious issue to decide, the grant would be available to a plaintiff on however, compliance with the other fundamentals as noticed below. A strong prima facie case, therefore, stands substituted by a serious issue to be decided.*
>
> *At this juncture, however, the decision of the House of Lords in American Cyanamid's case though raised certain eye-brows lately, ought to be considered in slightly more greater detail. Lord Diplock in Cyanamid's case laid down the following guiding principles for the grant of interlocutory injunction:*
>
> *(1) "The plaintiff must first satisfy the Court that there is a serious issue to decide and that if the defendants were not restrained and the plaintiff won the action, damages at common law would be inadequate compensation for the plaintiff's loss.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(2) The Court, once satisfied of these matters will then consider whether the balance of convenience lies in favour of granting injunction or not, that is, whether justice would be best served by an order of injunction.

(3) The Court does not and cannot judge the merits of the parties 's respective cases and that any decision of justice will be taken in a state of uncertainty about the parties' rights."

It would seem to follow therefore, that what should be borne in mind, in addition to what has been phrased in Lord Diplock's speech, is that if there is uncertainty, the Court should be doubly reluctant to issue an injunction, the effect of which is to settle the parties' rights once for all. On a clear analysis of the speech of Lord Diplock, it appears that if damages, recoverable at common law, would be an adequate remedy and the defendant would be in a financial position to pay the same, no interlocutory injunction should normally be granted, howsoever strong the plaintiff's claim appear to be at that stage. Lord Diplock went on to observe further that in the event of there being any doubt, as to the adequacy of the respective remedies and damages available to either party or both, then and in that event, the question of balance of convenience arises and the same will vary from case to case. Similar view has also been expressed by the House of Lords in the case of Dimbleby & Sons Ltd Vs. National Union of journalists (1984 1 ALL ER751). In Power Control Appliances Vs. Sumeet Machines Ltd. (1994 (2) SCC 448) this Court did follow the decision of this Court in Antox India's case (supra) and expressly approved the main dicta of the House of Lords in American Cyanamid's case. In Gujarat Bottling Co. Ltd. Vs. Coca Cola Co. & Ors., (1995 (5) SCC 545: AIR 1995 SC 2372) this Court however sounded a different note, though however, emphasised the discretionary power in the matter of grant of interlocutory injunction and in paragraph 43 this Court observed: "43. The grant of an interlocutory injunction during the pendency of legal proceedings is a matter requiring the exercise of discretion of the court. While exercising the discretion the court applies the following tests - (i) whether the plaintiff has

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

a prima facie case; (ii) whether the balance of convenience is in favour of the plaintiff; and (iii) whether the plaintiff would suffer an irreparable injury if his prayer for interlocutory injunction is disallowed. The decision whether or not to grant an interlocutory injunction has to be taken at a time when the existence of the legal right assailed by the plaintiff and its alleged violation are both contested and uncertain and remain uncertain till they are established at the trial on evidence. Relief by way of interlocutory injunction is granted to mitigate the risk of injustice to the plaintiff during the period before that uncertainty could be resolved. The object of the interlocutory injunction is to protect the plaintiff against injury by violation of his right for which he could not be adequately compensated in damages recoverable in the action if the uncertainty were resolved in his favour at the trial. The need for such protection, has, however, to be weighed against the corresponding need of the defendant to be protected against injury resulting from his having been prevented from exercising his own legal rights for which he could not be adequately compensated. The court must weigh one need against another and determine where the "balance of convenience" lies. (see: Wander Ltd. Vs. Antox India (P) Ltd, (1990 (supp) SCC at pp.731-32.) In order to protect the defendant while granting an interlocutory injunction in his favour the court can require the plaintiff to furnish an undertaking so that the defendant can be adequately compensated if the uncertainty were resolved in his favour at the trial".

As noted above, lately the 'triable issue concept' as introduced by Lord Diplock in Cyanamid's case has been thought to be much too rigid and wide even conceptually and doubts are even raised as to its legal efficacy having regard to the facts of adequate compensation theory. As a matter of fact the Courts in England have even gone to the extent of ascribing the judgment to be beneficial for the richer sections of the society! We however can not subscribe to such a view, neither find any justification for such uncharitable comments and it seems that Cynamid's decision has been more misunderstood than understood and in this regard we record our concurrence

18

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

रायपुर जिला झालावाड़ राज. निरन्तर 2 पर—

Scanned with OKEN Scanner

views expressed by Laddie J. in Series 5 Software Vs. Clarke and Others in 1996 (1) ALL ER 853 wherein the learned Judge has explained the judgment of American Cyanamid with extreme competency and in our view also correctly Laddie. J. observed: "*In many cases before American Cyanamid the prospect of success was one of the important factors taken into account in assessing the balance of convenience. The courts would be less willing to subject the plaintiff to the risk of irrecoverable loss which would befall him if an interlocutory injunction was refused in those cases where it thought he was likely to win at the trial than in those cases where it thought he was likely to lose. The assessment of the prospects of success therefore was an important factor in deciding whether the court should exercise its discretion to grant interlocutory relief. It is this consideration which American Cyanamid is said to have prohibited in all but the most exceptional case. So it is necessary to consider with some care what was said in the House of Lords on this issue.*

Lord Diplock said ([1975] 1 ALL ER 504 at 511, [1975] AC 396 at 409):

'if the extent of the uncompensatable disadvantage to each party would not differ widely, it may not be improper to take into account in tipping the balance the relative strength of each party's case as revealed by the affidavit evidence adduced on the hearing of the application.. The court is not justified in embarking on anything resembling a trial of the action on conflicting affidavits in order to evaluate the strength of either party's case.' It appears to me that there is nothing in this which is inconsistent with the old practice. Although couched in terms `it may not be improper', this means that it is legitimate for the court to look at the relative strength of the parties' case as disclosed by the affidavits. The warning contained in the second of the quoted sentences is to avoid courts at the interlocutory stage engaging in mini- trials, which [illegible] happened, at least in the Court of Appeal, in American Cyanamid itself. Interlocutory applications are meant [illegible] to be disposed of quickly. The supposed [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

with American Cyanamid centres on the following statement by Lord Diplock 9([1975] AC 396 at 409): Asssessing the relative strength of the parties' cases], however, should be done only where it is apparent upon the facts disclosed by evidence as to which there is no credible dispute that the strength of one party's case is disproportionate to that of the other party.[1] If this means that the court cannot take into account its view of the strength of each party's case if there is any dispute on the evidence, as suggested by the use of the words 'only' and 'no credible dispute', then a new inflexible rule has been introduced to replace that applied by the Court of Appeal. For example, all a defendant would have to do is raise a non-demurable dispute as to relevant facts in his affidavit evidence and then he could invite the court to ignore the apparent strength of the plaintiff's case. This would be inconsistent with the flexible approach suggested in Hubbard v. Vosper [1972] 1 ALL ER 1023, [1972] 2 QB 84 which was cited with approval earlier in American Cyanamid [1975] 1 ALL ER 504 at 510, [1975] AC 396 at 407. Furthermore, it would be somewhat strange, since American Cyanamid directs courts to assess the adequacy of damages and the balance of convenience, yet these too are topics which will almost always be the subject of unresovled conflicts in the affidavit evidence.

In my view Lord Diplock did not intend by the last-quoted passage to exclude consideration of the strength of the cases in most applications for interlocutory relief. It appears to me that what is intended is that the court should not attempt to resolve difficult issues of fact or law on an application for interlocutory relief. If, on the other hand, the court is able to come to a view as to the strength of the parties' cases on the credible evidence, then it can do so. (Emphasis supplied)."

14. इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 7966–7967 / 2009 उनवान *Kashi Math Samsthan & Anr. vs. Srimad Sudhindra Thirtha Swamy* में दिनांक 02.12.2009 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक (राज०)

प्रावधान की विस्तृत व्याख्या (Interpretation) की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

> *13. It is well settled that in order to obtain an order of injunction, the party who seeks for grant of such injunction has to prove that he has made out a prima facie case to go for trial, the balance of convenience is also in his favour and he will suffer irreparable loss and injury if injunction is not granted. But it is equally well settled that when a party fails to prove prima facie case to go for trial, question of considering the balance of convenience or irreparable loss and injury to the party concerned would not be material at all, that is to say, if that party fails to prove prima facie case to go for trial, it is not open to the Court to grant injunction in his favour even if, he has made out a case of balance of convenience being in his favour and would suffer irreparable loss and injury if no injunction order is granted.*

15. इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1995 AIR 2372 उनवान ***Gujarat Bottling Co.Ltd. & Ors vs The Coca Cola Co.*** में दिनांक 04.08.1995 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान की विस्तृत व्याख्या (Interpretation) की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> *The grant of an interlocutory injuction during the perdency of legal proceedings is a matter requiring the exercise of discretion of the court. While exercising the descretion the court. While exercising the discretion the court applies the following tests - (i) whether the plaintiff has a prima facie case; (ii) whether the balance of convenience is in favour of the plaintiff; and (iii) whether the pliantiff would suffer an irreparable injury if his prayer for interlocutory injuction is disallowed. The decision whether or not to grant an onterlocutory injuction has to be taken at a time when the existence of the leagal right assailed by the plaintiff and its alleged violation are both contested and uncertain and its alleged violation are both contested and uncertain and remain uncertain till they are established at the trial on evidence. Relief by way of interlocutory injuction is granted to mitigate the risk of injustice to the plaintiff during the period before*

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

that uncertainty could be resolved. The object of the interlocutory injuction is to protect the plaintiff against injury by violation of his right for which he could not be adequately compensated in damages recoverable in the action if the uncertainty were resolved in his favour at the trial. The need for such protection has, however, to be weghed against the corresponding need of the defendant to be protected against injury resulting from his having been prevented from exercisising his own legal rights for which he could not be adequately compensated. The court must weigh one need against another and determine where the 'balance of convenience' lies. [see:Wander Ltd.& Anr. v,. Antox India P. Ltd., 1990 (suoo) Scc 727 at pp. 731-32]. In order to protect the defendent whiloe granting an interlocutory injuction in his favour the Court can require the plaintiff to furnish an undertaking so that the defendent can be adequately compensated if the uncertainty were resolved in his favour at the trial.

<u>प्रकरण प्रथम दृष्टया</u>

16. हस्तगत प्रकरण में सर्वप्रथम यह जांचना है कि प्रकरण प्रथम दृष्टयां किसके पक्ष में है। Cambridge की डिक्शनरी के अनुसार Prima facie का अर्थ है at first sight (Based on what seems to be the truth when first seen or heard) है। इसी प्रकार Merriam Webster dictionary के अनुसार Prima facie का अर्थ है at first view or on the first appearance i.e. true, valid or sufficient at first impression. अतः ग्राम सर्वप्रथम यह जांचना है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर पहली नजर में प्रकरण किसके पक्ष मे साबित है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में वाद की तरह तनकीयात कायम कर साक्ष्य लेकर निर्धारण नही किया जाता है, केवल प्रथम दृष्टि में प्रकरण की सत्यता देखी जाती है। ग्राम सोयला की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2072–75 के अनुसार [illegible] हैक्टेयर <u>किस्म बीड दोयम</u> अप्रार्थी क्रम 1 से 6 के खाते दर्ज [illegible] इसी प्रकार खसरा नं. 1033/344 रकबा 0.1644 <u>किस्म बीड प्रथम</u> [illegible]र्थी सं. 9 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिंहाना, जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

खाते और खसरा नं. 1045/344 रकबा 0.1012 हैक्टेयर किस्म बीड दोयम अप्रार्थी सं. 6 से 8 के खाते दर्ज है और ख.नं. 357 रकबा 0.7967 है एवं ख.नं. 598 रकबा 0.0506 है. किस्म गै.मु.शमशान खाता सरकार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम सोयला की जमाबंदी संवत् 2068–71 में भी वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के खाते दर्ज रिकार्ड है और किस्म बंजड/बीड दोयम है। इससे पूर्व भी वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के खाते दर्ज रिकार्ड थी। उभयपक्ष ने बहस के दौरान इस तथ्य पर सहमत है कि वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 344 कुल रकबा 1–19 बीघा सेटलमेंट के दौरान साबिक खसरा नं. 352 मिन रकबा 1–19 बीघा से बनाया गया था। सेटलमेंट से पूर्व ग्राम सोयला के साबिक ख.नं. 352 की जमाबंदी सं. 2010–13, 2013–16 में वादग्रस्त आराजी केसरसिंह पिता चिमनसिंह जाति राजपूत के खाते दर्ज रिकार्ड थी। दोनो जमाबंदियो में भूमि के प्रकार वाले कालम सं. 6 में ना कोई अंकन है और ना ही विशेष विवरण के कालम सं. 16 में कोई अंकन है। इसी प्रकार ग्राम सोयला की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 344 रकबा 1–19 बीघा की सैंटलमेंट के दौरान की जमाबंदी सं. 2027–30 में यह केसरसिंह पि. चिमनसिंह के खाते दर्ज रिकार्ड है और भूमि की किस्म बीड दोयम अंकित है। अतः स्पष्ट है कि सं. 2010 से लेकर 2082 आज दिनांक तक वादग्रस्त आराजी साबिक ख.नं. 352 नया ख.नं. 344 रकबा 1–19 बीघा केसरसिंह पि. चिमनसिंह के खाते और उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण के हनुमतसिंह और वर्तमान में अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे दर्ज रिकार्ड चली आ रही है अर्थात अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार कृषक दर्ज चले आ रहे हैं। ग्राम सोयला परगना भानपुरा की खसरा गिरदावरी पांच साला सं. 2010–14 के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी साबिक ख.नं. 352 केसरसिंह के खाते दर्ज थी जिसके विशेष विवरण में अंकित शब्दो में से हनुमानखेडा व राजपूत शब्द स्पष्ट है, शेष शब्द अपठनीय है। इसी प्रकार भू.प्रबंध विभाग की ग्राम सोयला तहसील सुनेल जिला झालावाड की खसरा गिदरवारी सं. 2017–19 में साबिक ख.नं. 352 रकबा 1–19 बीघा किस्म बीड अंकित है जबकि विशेष विवरण में नम्बर हजा में ... स्थान हनुमानजी अंकित है। खसरा गिदरवारी ... गया है और इसिलिए सं. 2032 ... खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

27

गिरदावरी में मौके पर फसल काश्त की स्थिति के अलावा कब्जा आदि अन्य किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं किये जाने के राज्य सरकार के निर्देश है।

प्रकरण में उभयपक्ष इस तथ्य पर भी सहमत है कि ग्राम में वादग्रस्त भूमि से आगे पालखंदा रोड पर सार्वजनिक श्मशान ख.नं. 357 बना हुआ है जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा टीन शेड किया जाकर पहुँच हेतु इन्टर लॉकिंग सड़क बना रखी है।

उपरोक्त विवेचन एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई स्पष्ट मत जो कि मूल वाद में तय होना है– व्यक्त किये बिना, अप्रार्थीगण व पूर्वजो के वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार कृषक होने से प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

17. माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा विभिन्न प्रकरणों में अभिनिर्धारित किया है कि रिकार्डेड खातेदारो के कृषको के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। निगरानी सं. 3858/2002/उदयपुर उनवान श्रीमति शबीला बैगम व अन्य बनाम लक्ष्मण व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने निर्णय दिनांक 03.12.2012 में अभिनिर्धारित किया है कि

> *"रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध ऐसा व्यक्ति जिसका आराजी से नजदीक–दूर का कोई रिश्ता प्रथम दृष्टया प्रमाणित नहीं है, उसे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है"।*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

18. मल्कियत कौर व अन्य बनाम मल्किया कौर व अन्य RRT 2016–17(Supp.) 637 मामले में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.02.2017 में अभिनिर्धारित किया है कि

> *" No temporary injuction can be granted against a recorded khatedar".*

19. 2006(2) आरआरटी पृष्ठ 1410 उनवान मो[illegible] अन्य बनाम टीकूराम व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धा[illegible] किया है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], जिला [illegible] (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

" Petitioner is a khatedar tenant and No temporary injuction can be granted against a recorded khatedar- held, order passed by RAA is suffered with jurisdictional error and set aside".

20. इसी प्रकार आरआरडी 2019(2) पृष्ठ 777, डीएनजे 2022(1)(रेवन्यु) पृष्ठ 854 व आरएलडब्ल्यू 2008(1) पृष्ठ 447 में भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि

" No temporary injuction can be granted against a recorded khatedar".

21. इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9479/2005 उनवान ***Seema Arshad Zaheer & Ors vs Municipal Corporation Of Greater Mumbai*** में दिनांक 05.05.2006 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान के कानूनी सिद्धांत (Principle) के संबंध में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> 29. The discretion of the court is exercised to grant a temporary injunction only when the following requirements are made out by the plaintiff : (i) existence of a prima facie case as pleaded, necessitating protection of plaintiff's rights by issue of a temporary injunction; (ii) when the need for protection of plaintiff's rights is compared with or weighed against the need for protection of defendant's rights or likely infringement of defendant's rights, the balance of convenience tilting in favour of plaintiff; and (iii) clear possibility of irreparable injury being caused to plaintiff if the temporary injunction is not granted. In addition, temporary injunction being an equitable relief, the discretion to grant such relief will be exercised only when the plaintiff's conduct is free from blame and he approaches the court with clean hands.

22. इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ... AIR SCW 1439 उनवान ***Mahadeo Savlaram Shelke And Ors. vs ... Municipal***

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
... जिला ... (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

Corporation में दिनांक 24.01.1995 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान के अनुप्रयोग हेतु आवश्यक परिस्थितियों/कारकों के बारे में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> *12. In "Modern Law Review", Vol 44, 1981 Edition, at page 214, R.A. Buckley stated that "a plaintiff may still be deprived of an injunction in such a case on general equitable principles under which factors such as the public interest may, in an appropriate case, be relevant. It is of interest to note, in this connection, that it has not always been regarded as altogether beyond doubt whether a plaintiff who does thus fail to substantiate a claim for equitable relief could be awarded damages". In "The Law Quarterly Review" Vol 109, at page 432 (at p. 446), A.A.S. Zuckerman under Title "Mareva Injunctions and Security for Judgment in a Framework of Interlocutory Remedies" stated that "if the plaintiff is likely of suffer irreparable or uncompensable damage, no interlocutory injunction will be granted, then, provided that the plaintiff would be able to compensate the defendant for any unwarranted restraint on the defendant's right pending trial, the balance would tilt in favour of restraining the defendant pending trial. Where both sides are exposed to irreparable injury ending trial, the courts have to strike a just balance". At page 447, it is stated that the court considering an application for an interlocutory injunction has four factors to consider : first, whether the plaintiff would suffer irreparable harm if the injunction is denied; secondly, whether this harm outweighs any irreparable harm that the defendant would suffer from an injunction; thirdly, the parties' relative prospects of success on the merits; fourthly, any public interest involved in the decision. The central objective of interlocutory injunctions should therefore be seen as reducing the risk that rights will be irreparably harmed during the inevitable delay of litigation".*

प्रकरण में सुविधा का संतुलन

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(30)

23 हस्तगत प्रकरण मे सुविधा का संतुलन किसके पक्ष में है, यह निर्धारण करना भी आवश्यक है और प्रार्थीगण को यह साबित करना होगा कि उन्हे होने वाले संभावित अपूरनीय हानि को रोकने के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा देना आवश्यक है और निषेधाज्ञा नहीं देने से प्रार्थीगण को होने वाले नुकसान की तुलना मे उनो/प्रार्थीगण को अधिक नुकसान कारित होगा। ग्राम सोयला की वादग्रस्त आराजी के अप्रार्थीगण एवं उनके पूर्वज सं. 2010 से 2082 तक रिकार्डेड खातेदार एवं कब्जेदार होने से पैरा सं. 16 से 22 के अनुसार प्रकरण प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण के पक्ष मे साबित हो चुका है। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त स्थान वर्षो से राजपूत समाज का शमशान है जबकि अप्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी पर केवल अप्रार्थीगण के परिवार के पूर्वजो को ही जलाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा पेश मौखिक साक्ष्य एडब्ल्यु 1 से 25 ने अपने शपथ पत्रो मे कथन किया है कि मूल ख.नं. 344 पर पूर्वजो की दो छतरियां व हनुमान मंदिर बना हुआ है और भूमि को वर्षो से राजपूत समाज के दाह संस्कार हेतु उपयोग करता आया है और 2024 में प्रार्थी सं. 3 के पिता कल्याणसिंह का दाह संस्कार भी यही किया गया था। सरकारी शमशान ख.नं. 357 पर राजपूत समाज के अलावा अन्य समाज के लोग दाह संस्कार करते है। अप्रार्थीगण जबरन भवन निर्माण करना चाहते है। अप्रार्थीगण द्वारा पेश साक्ष्य गवाह एनए डब्ल्यु 1 से 4 ने अपने शपथ पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ख.नं. 344 पर अप्रार्थीगण के पूर्वजो का ही दाह संस्कार किया गया है। प्रार्थीगण के पूर्वजो ने दुर्गासिंह के माता–पिता व चैनसिंह के बडे भाई नर्भयसिंह व उसकी पत्नि का दाह संस्कार उन्होने अपने खेतो में किया है और वही पर उनकी छतरियां बनी हुई है। प्रार्थीगण के पूर्वत मोतीसिंह की माता, स्वयं मोतीसिंह व उनकी पत्नि का दाह संस्कार भी उनके खेत पर किया गया है। ग्राम के सभी समाजो के लोग ग्राम पंचायत द्वारा बनाये गए सरकार शमशान ख.नं. 357 पर ही दाह संस्कार करते है। वर्ष 2024 में प्रार्थीगण ने धन बल से रायपुर थाने के बल पर पुलिस द्वारा जबरन कल्याणसिंह का दाह संस्कार यहां कराया गया था। [illegible] पर अप्रार्थीगण के घर बने हुए है और 10 [illegible] महाराज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायपुर, जिला ब्यावर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

का मंदिर बना हुआ है। विगत 10 वर्षों से यहां कोई भी दाह संस्कार नहीं हुआ है।

अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार कृषक है। वादग्रस्त भूमि पर पालखंदा रोड के सहारे मकान निर्माण कार्य भी हो रहा है। पास में हनुमानजी का मंदिर बना हुआ है।

24. हस्तगत प्रकरण में वास्तविक तथ्यों को जानने व समझने एवं प्रार्थना पत्र का प्रभावी व निष्पक्ष निस्तारण के लिए अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी हल्का पटवारी के साथ वादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण किया गया एवं ग्राम के विभिन्न समाजो के कई लोगो से पूछताछ की गई। निरीक्षण के दौरान ज्ञात हुआ कि वादग्रस्त भूमि मूल ख.नं. 344 न केवल अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज चला आ रहा है बल्कि मौके पर कब्जा भी अप्रार्थीगण का है। उक्त भूमि पर पालखंदा सडक के सहारे अप्रार्थीगण द्वारा मकान का निर्माण किया जा रहा है जिसकी छत होना बाकी है। वादग्रस्त भूमि पर हनुमानजी का मंदिर व दो छतरियां बनी हुई है। अप्रार्थीगण का कुआं व पानी की खेल भी बनी हुई है। वादग्रस्त भूमि से लगवा सडक के समीप सोयला ग्राम की ओर कई घर बने हुए है और आबादी बसी हुई है। वादग्रस्त आराजी से 300–400 मीटर दूर पालखंदा की ओर मुख्य सडक से लगवा सरकारी शमशान ख.नं. 357 है जहां ग्राम पंचायत द्वारा चबूतरा बनाकर टीन शेड निर्माण कर पहूँच हेतु इन्टर लॉकिंग रास्ता बना रखा है। ग्रामवासियों के अनुसार राजपूत समाज के तीन चार परिवारो सहित अन्य समाज के लोग सरकारी शमशान पर ही दाह संस्कार करते है। राजपूत समाज के अन्य परिवार अपने खेतो पर दाह संस्कार करते है। **प्रार्थी सं. 1 दुर्गासिंह के माता व पिता का दाह संस्कार स्वयं के खेत पर** देवनारायण मंदिर के समीप किया गया था और वहां छतरी भी बनाई हुई है। इसी प्रकार **प्रार्थी सं. 4 व 5 के साथ प्रहलादसिंह** जनपद व भंवरसिंह की दादी व माता–पिता को राठौडा कुआ के समीप उनकी स्वयं की भूमि पर जलाया गया था और वही उनकी छतरी बनी हुई है। [illegible] तीन चार वर्ष पूर्व स्वयं के खेत में जलाया [illegible] दाह संस्कार पिछले साल रायपुर पुलि[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिडावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(32)

344 पर किया गया था। देवड़ा राजपूत परिवार के नंदसिंह को पिछले साल उनकी निजी खातेदारी भूमि पर दाह संस्कार किया जाकर छतरी बनाई हुई है।

25. ग्रामीणो ने आगे बताया कि अप्रार्थीगण भंवरसिंह, सज्जनसिंह, रघुवीरसिंह, विक्रमकसिंह, गोपालसिंह, बजरंगसिंह व अन्य एक ही कुटुम्ब के सदस्य है। इनका परिवार अभी तक अपने परिजनो को अपने खातेदारी की वादग्रस्त भूमि ख.नं. 344 पर जलाते आये है। करीब 3–4 वर्ष पूर्व प्रेमसिंह को एवं करीब 8–9 माह पूर्व प्रेमसिंह की माता को, करीब 2 वर्ष पूर्व अप्रार्थी 9 सज्जनसिंह ने अपनी पत्नि कैलाशकुंवर को यही जलाया गया था। यहां अप्रार्थीगण का कुआं व खेत भी बनी हुई है। अतः जाहिर होता है कि विगत 10–15 वर्षो से वादग्रस्त भूमि पर सम्पूर्ण राजपूत समाज दाह संस्कार नहीं करके केवल अप्रार्थीगण अपने पूर्वजो का ही दाह संस्कार करते आ रहे है और उन्ही का कब्जा चला आ रहा है।

26. उपरोक्त विवेचन से यह जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी मूल ख.नं. 344 के अप्रार्थीगण न केवल रिकार्डेड खातेदार है बल्कि कब्जाधारी भी है और प्रथम दृष्टया यह सम्पूर्ण राजपूत समाज का शमशान नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में ना कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज, बेचान इकरार, समझौता या वर्षो पुराने कब्जे काश्त के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण को बिना किसी हित, अधिकार व हक के अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करके अप्रार्थीगण के निर्माण को रोकने व जबरन प्रार्थीगण को दाह संस्कार के लिए अनुमत करना विधि विरूद्ध होगा और अप्रार्थीगण को अपूरनीय क्षति कारित करेगा।

अतः हस्तगत प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

27. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 AIR [illegible] बनाम *Dalpat Kumar vs Prahlad Singh* में [illegible] निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के [illegible] के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना, जिला बा.मेर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रावधान में निहित सिद्धांत सुविधा का संतुलन की विस्तृत विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

> *5. (.......) Satisfaction that there is a prima facie case by itself is not sufficient to grant injunction. The Court further has to satisfy that non-interference by the Court would result in "irreparable injury" to the party seeking relief and that there is no other remedy available to the party except one to grant injunction and he needs protection from the consequences of apprehended injury or dispossession. Irreparable injury, however, does not mean that there must be no physical possibility of repairing the injury, but means only that the injury must be a material one, namely one that cannot be adequately compensated by way of damages.*

28. अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रावधान के तहत अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी पक्षकार को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों में की गई विवेचना के बारे में विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1995 AIR SCW 1439 उनवान *Mahadeo Savlaram Shelke And Ors. vs Pune Municipal Corporation* में दिनांक 24.01.1995 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के आदेश-39 नियम-01 व नियम-02 के तहत न्यायालयों द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षी पक्षकार को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

> *13. In "Injunctions" by David Bean, 1st Edn, at page 22, it is stated that "if the plaintiff obtains an interlocutory injunction, but subsequently the case goes to trial and he fails to obtain a perpetual order, the defendant will meanwhile have been restrained unjustly and will be entitled to damages for any loss he has sustained. The practice [illegible] in almost every case where i[illegible] injunction is to be [illegible] plaintiff to underta[illegible] pay any d[illegible]ges subsequently found due to the defendant as compensation if the injunction car[illegible] be*

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज॰)

justified at trial. The undertaking may be required of the plaintiff in appropriate cases in that behalf. In "Joyce on Injunctions" Vol. I in paragraph 177 at page 293, it is stated "Upon a final judgment dissolving an injunction, a right of action upon the injunction bond immediately follows, unless the judgment is superseded. A right to damages on dissolution of the injunction would arise at the determination of the suit at law".

14. It would thus be clear that in a suit for perpetual injunction, the court should enquire on affidavit evidence and other material placed before the court to find strong prima facie case and balance of convenience in favour of granting injunction otherwise irreparable damage or damage would ensue to the plaintiff. The court should also find whether the plaintiff would adequately be compensated by damages if injunction is not granted. It is common experience that injunction normally is asked for and granted to prevent the public authorities or the respondents to proceed with execution of or implementing scheme of public utility or granted contracts for execution thereof. Public interest is, therefore, one of the material and relevant considerations in either exercising or refusing to grant ad interim injunction. While exercising the discretionary power, the court sould also adopt the procedure of calling upon the plaintiff to file a bond to the satisfaction of the court that in the event of his failing in the suit to obtain the relief asked for in the plaint, he would adequately compensate the defendant for the loss ensued due to the order of injunction granted in p favour of the plaintiff. Even otherwise the court while exercising its equity jurisdiction in granting injunction has also jurisdiction and power to grant adequate compensation to mitigate the damages caused to the defendant by grant of injunction restraining the defendant to proceed with the execution of the work etc., which is retrained by an order of injunction made by the court. The pecuniary award of damages is consequential to the adjudication of the dispute and the result therein is incidental to the determination of the case by the court. The pecuniary jurisdiction of the court of first instance should not impede nor be a bar to award damages beyond its pecuniary

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(37)

jurisdiction. In this behalf, the grant or refusal of damages is not founded upon the original cause of action but the /consequences of the adjudication by the conduct of the parties, the court gets inherent jurisdiction in doing ex debito justitiae mitigating the damage suffered by the defendant by the act of the court in granting injunction restraining the defendant from proceeding with the action complained of in the suit. It is common knowledge that injunction is invariably sought for in laying the suit in a court of lowest pecuniary jurisdiction even when the claims are much larger than the pecuniary jurisdiction of the court of first instance, may be, for diverse reasons. Therefore, the pecuniary jurisdiction is not and should not stand an impediment for the court of first instance in determining damages as the part of the adjudication and pass a decree in that behalf without relegating the parties to a further suit for damages. This procedure would act as a check on abuse of the process of the court and adequately compensate the damages or injury suffered by the defendant by act of court at the behest of the plaintiff.

15. Public purpose of removing traffic congestion was sought to be served by acquiring the building for widening the road. By orders of injunction, for 24 years the public purpose, was delayed. As a consequence execution of the project has been delayed and the costs now stand mounted. The courts in the cases where injunction are to be granted should necessarily consider the effect on public purpose thereof and also suitably mould the relief. In the event the plaintiffs losing ultimately the suit, they should necessarily bear the consequences, namely, escalation of the cost or the damages the Corporation suffered on account of injunction issued by the courts. Appellate court had not adverted to any of the material aspects of the matter. Therefore, the High Court has rightly, though for different reasons, dissolved the order of ad interim injunction. Under these circumstances, in the [illegible] dismissed while disposing of the s[illegible] court is directed to as[illegible] a decree for recover[illegible] against the appellants.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

29. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1999 AIR SCW 3050 उनवान *Colgate Palmolive (India) Ltd vs Hindustan Lever Ltd* में दिनांक 18.08.1999 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान के अनुप्रयोग हेतु मार्गनिर्देशों के बारे में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:-

> *The learned Judge, thereafter went on to record that the House of Lords in American Cyanamid did not suggest that it was changing the basis upon which most courts had approached the exercise of discretion in this important area. Thus on an analysis of the decisions as noticed above, there does not seem to be any difficulty in appreciating the view as expressed by Lord Diplock in American Cynamid. As a matter of fact, Laddie, J.'s decision in Series 5 Software case (supra) has been able to resolve the issue without any departure from the true perspective of the judgment as noticed above. We, however, think it fit to note herein below certain specific considerations in the matter of grant of interlocutory injunction, the basic being-non-expression of opinion as to the merits of the matter by the Court, since the issue of grant of injunction usually, is at the earliest possible stage so far as the time frame is concerned. The other considerations which ought to weigh with the Court hearing the application or petition for the grant of injunctions are as below:-*
>
> *(i) Extent of damages being an adequate remedy;*
> *(ii) Protect the plaintiff's interest for violation of his rights though however having regard to the injury that may be suffered by the defendants by reason therefor;*
> *(iii) The court while dealing with the matter ought not to ignore the factum of strength of one party's case being stronger than the others;*
> *(iv) No fixed rules o* [illegible] *in the matter of grant of injunction* [illegible] *facts and circumstances* [illegible] *relief being kept flexible;*

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना, जिला बाड़मेर (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

> *(v) The issue is to be looked from the point of view as to whether on refusal of the injunction the plaintiff would suffer irreparable loss and injury keeping in view the strength of the parties case; (vi) Balance of convenience or inconvenience ought to be considered as an important requirement even if there is a serious question or prima facie case in support of the grant;*
> *(vii) Whether the grant or refusal of injunction will adversly affect the interest of general public which can or cannot be compensated otherwise.*

30. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील 9479/2005 उनवान *Seema Arshad Zaheer & Ors vs Municipal Corporation Of Greater Mumbai* में दिनांक 05.05.2006 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान के न्यायालय के विवेक के बारे में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> *31. Where the lower court acts arbitrarily, capriciously or perversely in the exercise of its discretion, the appellate court will interfere. Exercise of discretion by granting a temporary injunction when there is 'no material', or refusing to grant a temporary injunction by ignoring the relevant documents produced, are instances of action which are termed as arbitrary, capricious or perverse. When we refer to acting on 'no material' (similar to 'no evidence'), we refer not only to cases where there are total dearth of material, but also to cases where there is no relevant material or where the material, taken as a whole, is not reasonably capable of supporting the exercise of discretion. In this case, there was 'no material' to make out a prima facie case and therefore, the High Court in its appellate jurisdiction, was justified in interfering in the matter and vacating the temporary injunction granted by the trial court.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

31. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 SCR [illegible] 52 उनवान *Shiv Kumar Chadha Etc.,Etc vs Municipal Corporation Of* [illegible] में दिनांक 04.05.1993 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(38)

आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान के न्यायालय के विवेक के बारे में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

TEMPORARY INJUNCTION

It need not be said that primary object of filing a suit challenging the validity of the order of demolition is to restrain such demolition with the intervention of the Court. In such a suit the plaintiff is more interested in getting an order of interim injunction. It has been pointed out repeatedly that a party is not entitled to an order of injunction as a matter of right or course., Grant of injunction is within the discretion of the Court and such discretion is to be exercised in favour of the plaintiff only if it is proved to the satisfaction of the Court that unless the defendant is restrained by an order of injunction, an irreparable loss or damage will be caused to the plaintiff during the pendency of the suit. The purpose of temporary injunction is, thus, to maintain the status quo. The Court grants such relief according to the legal principles--ex debite justitiae. Before any such order is passed the Court must be satisfied that a strong primafacie case has been made out by the plaintiff including on the question of maintainability of the suit and the balance of convenience is in his favour and refusal of injunction would cause irreparable injury to him.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

अपूरनीय क्षति कारित होना

32. हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन दोनो प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है। अपूरनीय क्षति से तात्पर्य ऐसी क्षति या नुकसान जो मौद्रिक मुआवजे से ठीक नहीं की जा सकती है अतः अगर किसी व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के कृत्य से इस प्रकार की क्षति होती हो कि अदालत उसे ठीक करने के लिए मौद्रिक हर्जाने के अलावा अन्य कोई उपाय जैसे निषेधाज्ञा आदि का आदेश जारी कर सकती है। अपूरनीय क्षति [illegible] को कई कारकों पर विचार करना होता [illegible] उसकी गंभीरता, उसकी भरपाई के [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(39)

है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण न तो रिकार्डेड खातेदार है और ना ही उनके पास टाईटल/हित के संबंध में कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज, बेचान इकरार, समझौता आदि नहीं होने, वर्षों के कब्जे काश्त का कोई साक्ष्य नहीं होने और ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया सार्वजनिक शमशान ख.नं. 357 उपलब्ध होने से प्रार्थीगण को कोई अपूरनीय क्षति कारित होना साबित नहीं होता है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से अपूरनीय क्षति वादग्रस्त आराजी के खातेदार व कब्जेदार अप्रार्थीगण को कारित होगा।

33. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा AIRONLINE 1990 SC 156 उनवान *Wander Ltd. And Anr. vs Antox India P. Ltd.* में दिनांक 26.04.1990 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान के न्यायालय के विवेक के बारे में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> *9. The appeals before the Division Bench were against the exercise of discretion by the Single Judge. In such appeals, the Appellate Court will not interfere with the exercise of discretion of the court of first instance and substitute its own discretion except where the discretion has been shown to have been exercised arbitrarily, or capriciously or perversely or where the court had ignored the settled principles of law regulating grant or refusal of interlocutory injunctions. An appeal against exercise of discretion is said to be an appeal on principle. Appellate Court will not reassess the material and seek to reach a conclusion different from the one reached by the court below if the one reached by the court was reasonably possible on the material. The appellate court would normally not be justified in interfering with the exercise of discretion under appeal solely on the ground that if it had considered the matter at the trial stage it would have come to a contrary conclusion. If the discretion has been exercised by the Trial Court reasonably and in a judicial manner the fact that the appellate court would have taken a different view may not justify interference with the trial court's exercise of discretion.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

34. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 AIR SCW 3128 उनवान *Dalpat Kumar vs Prahlad Singh* में दिनांक 16.12.1991 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के प्रावधान के न्यायालय के विवेक के बारे में दृष्टान्त प्रतिपादित किया है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

> *6. Undoubtedly, in a suit seeking to set aside the decree, the subject-matter in the earlier suit, though became final, the Court would in an appropriate case grant ad interim injunction when the party seeks to set aside the decree on the ground of fraud pleaded in the suit or for want of jurisdiction in the Court which passed the decree. But the Court would be circumspect before granting the injunction and look to the conduct of the party, the probable injuries to either party and whether the plaintiff could be adequately compensated if injunction is refused.*
>
> *xxx*
>
> *The phrases "prima facie case"; "balance of convenience" and "irreparable loss" are not rhetoric phrases for incantation, but words of width and elasticity, to meet myriad situations presented by man's ingenuity in given facts and circumstances, but always is hedged with sound exercise of judicial discretion to meet the ends of justice. The facts are eloquent and speak for themselves. It is well nigh impossible to find from facts prima facie case and balance of convenience. The respondents can be adequately compensated on their success.*

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

35. अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रावधान के अनुप्रयोजन में न्यायालय की भूमिका, शक्तियां व दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से समझना उचित प्रतीत होता है। इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 4602/2024 उनवान *Bloomberg Television Production vs Zee Entertainment Enterprises Limited* में दिनांक 12.03.2024 को दिये गये निर्णय में सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के तहत न्यायालय की भूमिका एवं श[illegible]e/Power of Court) को स्पष्ट करते हुए निम्न [illegible] प्रतिपादित [illegible] है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण इस प्रकार है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

The three-fold test of establishing (i) a prima facie case, (ii) balance of convenience and (iii) irreparable loss or harm, for the grant of interim relief, is well-established in the jurisprudence of this Court. This test is equally applicable to the grant of interim injunctions in defamation suits. However, this three-fold test must not be applied mechanically,3 to the detriment of the other party and in the case of injunctions against journalistic pieces, often to the detriment of the public. While granting interim relief, the court must provide detailed reasons and analyze how the three-fold test is satisfied. A cursory reproduction of the submissions and precedents before the court is not sufficient. The court must explain how the test is satisfied and how the precedents cited apply to the facts of the case.

36. उपरोक्त विधिक प्रावधान एवं न्यायिक दृष्टांतों के संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–212 एवं सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–39 नियम–01 व नियम–02 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रथमदृष्टया विवाद, सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना तथा प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होने के साथ प्रार्थी का आचरण बेदाग होना आवश्यक है।

आदेश

अतः उपलब्ध रिकार्ड एव दस्तावेजो एवं न्यायिक दृष्टांतो व विधिक प्रावधानो के परिपेक्ष्य में ग्राम सोयला की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 344, ख.नं. 1033/344 व ख.नं. 1045/344 के संबंध मे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 सीपीसी खारीज किया जाता है। यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

07/07/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.21 13:23:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला ... राज०

Scanned with OKEN Scanner